राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	522/2025 **बजरंग सामाजिक बनाम सुरेश कुमार** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 11/05/2026 को पेश हो |	
11/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता रेस्पो. की बहस पूर्व में सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 15/05/2026 को पेश हो |	
15/05/26	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10/10/2019 पारित करते हुये अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 3 के आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना विचाराधीन प्रकरण में सुनिश्चित नही की गयी है | ऐसी स्थिति में डिले कन्डोन करवाने हेतु अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्य स्वीकार योग्य प्रतीत होते है | अत: न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा -5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है | इसके अतिरिक्त दौराने बहस उद्धरित तथ्यों से यह जाहिर हुआ है कि विवादग्रस्त भूमि पर आवासीय योजना सृजित है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर दोनों पक्षों की सुनवाई उपरान्त युक्तियुक्त एवं विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित्त समझा जाता है | अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06/11/2023 निरस्त किया जाकर प्रकरण	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बजरंग सामाजिक बनाम सुरेश कुमार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	522/2025	
	अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की सुनवाई कर जाहिर तथ्यों का विस्तृत विवेचन करते हुये व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 3 के प्रावधानों की अनुपालना करते हुये विधिसम्मत आदेश पुन: पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	